

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(24)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 14/10/22

:: आदेश ::

निम्नांकित लोक/विशिष्ट/अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकगण की सेवा अवधि में एतद्वारा वृद्धि की जाती है:-

क.सं0	नाम अभियोजक	पद नाम	सेवा वृद्धि
1	2	3	4
1	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, चित्तौडगढ	दिनांक 01.08.22 से 31.07.23 तक
2	श्री रमेश दशोरा	विशिष्ट लोक अभियोजक, (एनडीपीएसएक्ट)सं.2, चित्तौडगढ	दिनांक 01.08.22 से 31.07.23 तक
3	श्री अब्दुल सत्तार खान	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02, चित्तौडगढ	दिनांक 01.08.22 से 31.07.23 तक
4	श्री खुशनुद खान	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं03, चित्तौडगढ	दिनांक 01.08.22 से 31.07.23 तक
5	श्री शोभा लाल जाट	विशिष्ट लोक अभियोजक, पोक्सो, चित्तौडगढ	दिनांक 01.08.22 से 31.07.23 तक
6	श्री फरीद मोहम्मद मिर्जा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, बैंगू जिला चित्तौडगढ	दिनांक 01.08.22 से 31.07.23 तक

आज्ञा से

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि